


(पीत-पत्र के बदले में)

पत्रांक-भवन/समन्वय/वि0स0/विविध-05/2019.....1304 (अ)...../ पटना, दिनांक-12.2.2020

1. मुख्य अभियंता, दक्षिण
2. मुख्य अभियंता, उत्तर
3. मुख्य अभियंता, पटना
4. मुख्य अभियंता, निरूपण
5. मुख्य विद्युत अभियंता एवं
6. निदेशक अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन, भवन निर्माण विभाग।


24 फरवरी, 2020 से दिनांक-31 मार्च 2020 तक आहूत षोडश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 194वाँ सत्रावधि के दौरान सत्रावधि के दृष्टिगत निदेशानुसार कहना है कि विभाग से संबंधित विधायी कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ बिहार विधानमंडल से प्राप्त प्रश्नों, ध्यानाकर्षण आदि से संबंधित उत्तर सामग्री संबंधित कार्यपालक अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं से दूरभाष पर या मुख्यालय में आहूत बैठकों में उपस्थित कार्यपालक अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर संबंधित मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को त्वरित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

2. आदेश में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


(विनय कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-भवन/समन्वय/वि0स0-विविध-05/19.....1304 (अ)...../पटना, दिनांक-12.2.2020

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता, प्रमुख के सचिव (प्रा०), भवन निर्माण विभाग/सभी उप सचिव/अवर सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
